COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

139

रिव्यू 1244-II/07

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ पुनरावलोकन (रिव्यू)

श्री ... द्वारा आज दि० 25-7-07 को प्रस्तुत।
25/7/07
रीडर, राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१। नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह दांगी

२। मोहनसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह दांगी
दोनों निवासीगण ग्राम इकोदिया,
तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर,
म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- प्रतिप्रार्थी

पुनरावलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर दिनांक २३-२-०७ प्रकरण क्रमांक २४२एक/०६ निगरानी (माननीय डा० जे० टी० एक्का, सदस्य राजस्व मण्डल) अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ ।

श्रीमान,

पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है ।

(२) यहकि जो आपत्तियां प्रार्थीगण व्दारा इस माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत निगरानी मेमो में उठाई गई थी विशेषकर निगरानी मेमो के पद क्रमांक ५,६ एवम् ७ में, उन पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल हुई है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

(३) यहकि प्रार्थीगण के पूर्वजों के स्वत्व एवम् स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रकरण में साक्ष्य उपलब्ध है । ऐसी साक्ष्य पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल हुई है । यह भूल भी ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1244–दो/2007 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–11–16	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 242–एक/2006/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–02–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा इस न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व मण्डल ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर उसे जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया । आवेदकों ने कारण बताओं नोटिस का उत्तर भी दिया है तथा	

उनके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है । ऐसी स्थिति में आवेदक का यह तर्क कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया मानने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी बताया है कि आवेदक द्वारा 40–50 वर्ष पूर्व के खसरे की कोई नकल पेश नहीं की है, जिससे उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा हो। प्रकरण में अर्थदंड की जो रसीदें पेश की है वे वर्ष 91, 95, 97, 98 की है, जिनके आधार पर 40–50 वर्ष से लगातार कब्जे की अवधारण नहीं की जा सकती । राजस्व मण्डल द्वारा अपर आयुक्त के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को उचित माना है तथा बंदोबस्त में त्रुटि हुई थी तो उसे बंदोबस्त के पूर्व के अभिलेख में अपने पक्ष समर्थन में पेश करना चाहिये था। अपर आयुक्त के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28. 02.04 में प्रथम दृष्टया अनियमिततायें पाये जाने पर जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.11.04 को प्रस्तुत किया था जो कि एक वर्ष की समयावधि से भी कम है। उपरोक्त के आधार पर अपर आयुक्त ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया है । न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपर आयुक्त के आदेश की त्रुटिरहित मानते हुये स्थिर रखा है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2007 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से

खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य